IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रीय महिला शिशु कल्याण योजना आंगनवाड़ी का आधारित शिक्षा में विलय का जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन

डॉ0 ममता दीक्षित
सहायक प्रोफेसर
बी0आई0एम0टी0 कॉलिज, मेरठ

शोध सारांश:–

प्रस्तुत शोध–पत्र आंगनवाड़ी शिक्षा के वर्तमान स्वरूप तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा इसके परिवर्तित स्वरूप आधार शिक्षा/आधारित शिक्षा ***(Foundation Education)*** *की चुनौतियों का एक चित्रण करने का एक प्रयास है। जनपद हापुड़ मे स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि 47 वर्षों के अथक प्रयास के बाद भी तत्कालीन सरकार आंगनवाड़ी के लक्ष्य को प्राप्त करने मे मानवीय संसाधन और न ही भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने मे असर्मथ रही और पूरी तरह आंगनवाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन करने के कारण इसकी चुनौतियाँ कई गुना बढ़ गई कही ऐसा न हो की अतिरिक्त भार के कारण आंगनवाड़ी का वर्तमान स्वरूप ही लुप्त हो जाये यह एक बड़ी चुनौती है।*

कुंजी शब्द: *आंगनवाड़ी योजना, राष्ट्रीय महिला शिशु कल्याण, आधारित शिक्षा*

प्रस्तावना:

राष्ट्रीय आंगनवाड़ी महिला शिशु कल्याण योजना का शुभारम्भ 2 अक्टूबर 1975 को तत्कालिन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमति इन्दिरा गाँधी द्वारा किया गया था। नवीन योजना का निहितार्थ देष व्यापी मातृशिशु स्वास्थ्य कल्याण था। श्रीमति इन्दिरा गाँधी ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद अपने विरोधियों को शिकस्त देने के लिये इसका शुभारम्भ किया था। यह योजना सम्पूर्ण देष में क्रियान्वीत है। इस योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा के नीचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले समस्त परिवारों की गर्भवती, धात्री महिलाओं उनकें दूध पीने वाले बच्चों और 6 वर्ष की आयु तक के समस्त बालक–बालिकाओं को सम्मिलित किया गया, और नवजात शिशु तथा गर्भवती व धात्री माँ को पौष्टिक आहार और आवश्यक औषधिओं को मुफ्त मे वितरण कर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने की इस योजना का मुख्य उद्देष्य निधरित किया गया।

हापुड़ मे संचालित आंगनवाड़ी कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति:

प्रस्तुत शोधपत्र मे इस योजना के वर्तमान स्वरूप का चित्रण उत्तर प्रदेश के एक छोटे जिले हापुड़ मे संचालित आंगनवाड़ी कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति का प्रस्तुतीकरण उदाहरण के रूप में किया गया है। मातृ शिशु कल्याण योजना में गर्भवती धात्री अर्थात शिशु को स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक–बालिका को इस योजना का लाभार्थी बनाया गया है। अर्थात ऊपर वर्णित लाभार्थीयों को पोशाहार प्राप्त कराना इस योजना का प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त मातृ शिशु की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवष्यकताओं को जानने का प्रयास किया जाता है। और आवष्यकता होने पर उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का निवारण किया जाता है। ऐसा करने के लिये उन्हें सामान्य औषधिया घर पर वितरित की जाती है। अथवा विषेष परिस्थितियों में मातृ शिशु दोनो को नजदीकी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र ले जाकर उनकी समस्याओं का मातृ शिशु सेवा विषेषज्ञ चिकित्सको द्वारा चिकित्सा कराई जाती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी महिला और शिशु की शारीरिक आवष्यकताओं के अनुसार दुध, फल आदि ले जाकर उन्हे अपने सामने खिलाते, पिलाते है। तथा उनमें परिवार कल्याण सम्बन्धी जागरूकता का विकास कराते है। इस

कार्य के सम्पादन हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्तीयों की नियुक्ति कि गयी तथा चिकित्सा विभाग में आषा पद नाम से कार्यकर्तीयों को रखा गया, आशा तथा आंगनवाड़ी दोनो को मिलकर इस योजना को सफल करने का दायित्व दिया गया।

प्रत्येक एक हजार परिवारों पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की नियुक्ति की जाती है। और उसे उस आंगनवाड़ी क्षेत्र मे निवास करने वाली लाभार्थी गर्भवती महिलाओं तथा जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु वाले बालक–बालिकाओं को कुपोषण से बचाने तथा उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने का मुख्य कार्य दिया गया है इस प्रकार एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को एक सौ शिशु और उनकी जिम्मेदारी सौपी गई इन बालक–बालिकाओं के वर्ग में जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ती नियमित रूप से घर घर जाकर उन्हे भोजन सामग्री प्रदान करते है। तथा जरूरत पड़नें पर आषा की मदद से उन्हे आवष्यकत औषधियों को भी देती है। प्रत्येक एक हजार परिवारों के लिये एक आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कराया गया जहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती लाभार्थी बालक–बालिकाओं को ले जाकर उनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा शारीरिक विकास सुनिष्चित करने के लिये उन्हें कहानी, कविता खेलकूद आदि का अभ्यास कराती है। बालकों मे एक दुसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव जैसे गुणों का विकास करती है और एक दुसरे में भाई–चारा विकसित करते है। छोटे बच्चों को घर से आंगनवाड़ी लाती है। और आंगनवाड़ी से घर तक पहुँचाती है। बाद में इस योजना के अर्न्तगत विद्यालीय शिक्षा से वंचित 14 से 19 वर्ष की बालिकाओं को भी इस योजना का लाभार्थी बनाया गया और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिये उन्हें आयरन आदि की मुफ्त गोलियां प्रदान की जाती है। तथा उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। जिससे 18 वर्ष के बाद विवाह होने पर वे स्वास्थता पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन का निवार्हन कर सके।

आंगनवाड़ी योजना:

आंगनवाड़ी योजना ग्रामीण क्षेत्र की मातृ शिशु कल्याण योजना के नाम से चलायी गयी इस योजना के समान्तार शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के मातृ शिशु स्वास्थ्य कल्याण हेतु Early Childhood Care And Eduacation Center (ECCE) की स्थापना की गई वहाँ पर भी आंगनवाड़ी की तरह लाभार्थी मातृ शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। इस तरह से सम्पूर्ण देष मे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की गर्भवती और धात्री महिलओं तथा उनके नवजात से लेकर 6 वर्ष के आयु तक बच्चों के स्वास्थ्य को समुचित रखने के लिये उन्हें नियमित रूप से पोषाहार तथा औषिधियों को वितरित किया जाता है। यह योजना आज तक इसी रूप में संचालित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संचालित मातृ शिशु स्वास्थ्य कल्याण योजना का नाम परिवर्तित करके इस योजना का नाम आधारित शिक्षा (Foundation Eduacation) कर दिया है। तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पूर्व प्राथमिक के स्वरूप को परिवर्तित करके उसमें से कक्षा 1 और 2 को मिलाकर उसे मातृ शिशु स्वास्थ्य कल्याण योजना के अर्न्तगत रख दिया है। इस तरह आंगनवाड़ी योजना के लाभार्थी शिशुओं की उम्र को बढ़ाकर 6 से 8 वर्ष कर दी गई है। और स्वरूप परिवर्तन के साथ इसका नाम भी परिवर्तित करके अब इसे आधार /आधारित शिक्षा (Foundation Education) नाम दिया गया। Early Childhood Care And Eduacation Center जुड़े हुए बालक–बालिकाओं को आंगनवाड़ी में ही बाल वाटिका में अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान तथा संख्या ज्ञान कराया जाता था। इस कार्य के लिये प्राथमिक शिक्षा के प्रथम 2 वर्ष को आंगनवाड़ी के साथ जोड़ दिया गया है। तथा इनकी शिक्षा का दायित्व आंगनवाड़ी संचालिका को न देकर शिक्षामित्र के नाम से प्राथमिक पाठषाला में षिक्षण कार्य कराने वाले अध्यापकों को दिया जाना है। ऐसे अध्यापकों की नई तैनाति (नई नियुक्ति) के लिये जिला शिक्षा प्रषिक्षण संस्थान में प्रषिक्षण भी दे दिया गया है सम्भवत् इसी वर्ष से यह योजना लागू हो जायेगी तथा 10 आंगनवाड़ी केन्द्रो पर एक महिला पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तीयों को जरूरत पड़ने पर मदद करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आंगनवाड़ी योजना:

भारत सरकार द्वारा 2020 मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गयी है। लेकिन अभी इसके लिये आवष्यक संसाधनों की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं की गयी आंगनवाड़ी केन्द्रों में दो अतिरिक्त कक्षाओं को सम्मलित किया गया है। लेकिन इनके लिए अतिरिक्त कक्षा कक्ष की व्यवस्था नहीं की गई यहां पर छात्र और अध्यापक अनुपात क्या होगा यह भी अभी तय नहीं है। इन समस्याओं के तह तक जाने के लिये शोधार्थीनी ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में आंगनवाड़ी संस्थाओं की भौतिक स्थिति का अध्ययन किया है जो आंगनवाड़ी का वास्तिविक चित्र प्रस्तुत किया और आधारित शिक्षा की चुनौतियो को उजागर करते है और चिन्हित करते है। जनपद हापुड़ मे चार विकास क्षेत्र इन चार विकास क्षेत्रो में 1400 गाँव है। तथा इन गाँवो में 888 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। प्रत्येक केन्द्र के समुचित संचालन के लिये एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को नियुक्त किया जाता है। परन्तु 160 आंगनवाड़ी केन्द्र में कोई भी कार्यकर्ती नहीं है। अर्थात 18.018 प्रतिषत आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यकर्ती से वंचित है। इनका दायित्व पड़ोस के आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पर डाला गया है। इस प्रकार आंगनवाड़ी केन्द्र, कार्यकतीयों और लाभार्थीयों की स्थिति का अन्दाजा लगाया जा सकता है। अगर इसी आँकड़े को आधार बनाया जाये तो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में रिक्त पड़े आंगनवाड़ी केन्द्रो के बारे में पता चल सकता हैं दुसरी तरफ 888 आंगनवाड़ी केन्द्रों

में से 273 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन है। ऐसे केन्द्रों को आस–पास के आंगनवाड़ी केन्द्रो में संचालित किया जा रहा है, या फिर ग्राम पंचायत भवन में संचालित है, या फिर प्राथमिक पाठशाला में चलाया जा रहा है अर्थात भवन विहिन आंगनवाड़ी दुसरे आंगनवाड़ी केन्द्र की गुणवत्ता को भी कम कर रहें है। जब प्राथमिक शिक्षा की दो कक्षाएँ कक्षा 1 और 2 आंगनवाड़ी केन्द्र में स्थानातरित है। तो कार्यकर्ती इनका अभ्यास और अध्ययन कहाँ पर कैसे करेगी। यह एक यक्ष प्रश्न बन गया है। सरकार का यह निर्णय अतिरिक्त के निर्माण के बिना 2 कक्षाओं का यहाँ भेजना उचित नहीं लगता। 1975 से 2022 तक 47 साल पूर्ण हो गये है। लेकिन सरकार अभी आवष्यक मानव संसाधन आदि की आपूर्ति करने में असफल रही है। ऐसे में आंगनवाड़ी संस्था को भवन उपलब्ध नही करा पाई। अभी तक हापुड़ छोटे जनपद मे 888X2=1776 अतिरिक्त षिक्षण कक्षों की आवष्यकता है। इन षिक्षण कक्षों के अभाव में आधरित शिक्षा (Foundation Education) का भविष्य क्या होगा। यह एक यक्ष प्रश्न है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

- दैनिक जागरण 2022'' एक करोड़ 10 लाख से बनाए जाएगें 13 मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्र ई पेपर ''
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा: www.mhrd.gov.in
- www.whoindia.org
- icds-wcd.nic.in
- itpd.ncert.gov.in
- P.M.Modi yojnoye (2022)
- आईसीडीएस प्रोग्राम एंड सर्विसेज (2020), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दिल्ली
- ICDSUP आंगनवाड़ी भारती 2022

1. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (PMMVY)